



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-58

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 259068 दिनांक 04/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ravi Kumar Arora S/o KAILASH NARAYAN ARORA	श्री यशवन्त अरोरा पुत्र श्री जे.एल. अरोरा	454	275.00 SQ. METER	JDA	ANUPAM VIHAR Sector/Block-B	Name Transfer	श्री रवि कुमार अरोडा पुत्र श्री कैलाश नारायण अरोडा द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड सं. बी-454 क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड क्रमांक 448 दिनांक 26.09.2013 के द्वारा श्री यशवन्त अरोरा पुत्र श्री जे.एल. अरोरा के पक्ष में जारी किया गया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक-19.02.20 21 अनुसार श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								यशवन्त अरोरा की मृत्यु दिनांक-04.02.20 21 को हो चुकी है। तत्पश्चात् श्रीमती प्रियंका ब्रह्मवार पुत्री स्व. श्री यशवन्त अरोड़ा एवं श्रीमती रियंका खन्ना पुत्री स्व. श्री यशवन्त अरोड़ा ने रजि. हक त्याग पत्र क्रमांक 202303019115 458 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा श्रीमती मंजू अरोड़ा पत्नी स्व. श्री यशवन्त अरोड़ा के पक्ष में हक त्याग किया गया। तत्पश्चात् जविप्रा नाम हस्तांतरण पत्र दिनांक-12.06.20 24 श्रीमती मंजू अरोड़ा पत्नी स्व. श्री यशवन्त अरोड़ा के पक्ष में जारी किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती अंजू अरोड़ा की मृत्यु दिनांक-19.05.02 025 को हो गयी। इनकी वारिस दोनो पुत्रियां श्रीमती प्रियंका ब्रह्मावर एवं श्रीमती रियंका खन्ना है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड को श्रीमती प्रियंका एवं श्रीमती रियंका ने रजि. गिफ्ट डीड
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रम संख्या
202500191162
19 दिनांक
24.9.2025 द्वारा
आवेदक श्री रवि
कुमार अरोडा पुत्र
श्री कैलाश
नारायण अरोडा
को उपहार किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ravi Kumar Arora S/o KAILASH NARAYAN ARORA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।